संशोधन

संख्या– 1301/एक–10–2021–33(36)/2018 टीसी–3

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर, फिरोजाबाद, सन्तकबीरनगर एवं इटावा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या–1210/एक–10–2021–33(36)/2018 टी0सी0–3, दिनांक 09 जुलाई, 2021 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा मानव वन्य–जीव द्वव्द्ध आदि से प्रभावित परिवारों को राहत सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद हमीरपुर, फिरोजाबाद, सन्तकबीरनगर एवं इटावा को रू0 1,55,00,000/– (रूपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के मद–09 से आवंटित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में त्रुटिवश शासनादेश संख्या–1293 के स्थान पर शासनादेश संख्या–1210 अंकित हो गया है। अतः शासनादेश संख्या–1210 के स्थान पर शासनादेश संख्या–1293 पढ़ा जाए।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 09.7.2021 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1301(1)/एक–10–2021–33(36)/2018 टीसी–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।